

कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली, जिला- मुंगेली (छ.ग.)

क्र./तक-3/बीज/2022-23/816

मुंगेली, दिनांक 26/05/2022

प्रति,

मेसर्स पटनाब खेड़ा

स्थान मुंगेली

वि.ख. 82/05/2022 जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- बीज व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रदाय करने बाबत।

—0—

आपके आवेदन पत्र के आधार पर बीज विक्रय हेतु नया प्राधिकार/नवीनीकरण प्राधिकार पत्र क्र. 31/14-20 दिया जा रहा है। यह नया पंजीयन/नवीनीकरण पंजीयन दिनांक 31/05/2022 से 30/05/2022 तक वैध रहेगा।

नियम एवं शर्तें :-

1. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन विक्रय स्थल में सुलभ स्थान पर करना अनिवार्य है।
2. बीजा स्कंध एवं विक्रय दर का प्रदर्शन प्रतिदिन करना अनिवार्य है।
3. संलग्न स्रोत प्रमाण के अनुसार ही क्रय- विक्रय की अनुमति दी जाती है।
4. बीज के भण्डारण विक्रय की रिपोर्ट नियमित रूप से अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एवं व.कृ.वि. अधि. को प्रति सप्ताह शुक्रवार एवं प्रतिमाह एक तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
5. दिनांक 30/05/2022 के पश्चात अनुज्ञप्ति के वैधता हेतु नवीन वैधता के स्रोत प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियम/शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर आपको प्रदत्त अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित/निरस्त कर दी जावेगी।

संलग्न :- लायसेंस की. मूलप्रति।

प क्र./तक-3/बीज/2022-23/817

प्रतिलिपि :-

बीज निरीक्षक/व.कृ.वि.अधि. वि.ख. 30/05/2022 की ओर सुपुनार्थ

पंजीयन प्राधिकारी (बीज)
उप संचालक कृषि
जिला- मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 26/05/2022

पंजीयन प्राधिकारी (बीज)
उप संचालक कृषि
जिला- मुंगेली (छ.ग.)
जिला- मुंगेली (छ.ग.)